स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सिवनी जिले में निम्नलिखित योजनाएं संचालित है।

1 **निःशुल्क सायकिल वितरण योजना**–(ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो शासकीय विद्यालय में कक्षा 6 एवं 9 में अन्य राजस्व गांव में अध्ध्यनरत है, अथवा उसी ग्राम के ऐसे मंजरे टोले में निवासरत है, जहां माध्यमिक एवं हाईस्कूल से 2 कि.मी की अधिक दूरी पर है, को निःशुल्क सायकिल योजना का लाभ दिया जाता है।)

2 **निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना**–(कक्षा 1 से 12 तक शासकीय विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना का लाभ दिया जाता है।

3 **निःशुल्क गणवेश वितरण योजना**– शासकीय शालाओ में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत समस्त बालक/बालिकाओं, मदरसा बोर्ड एवं संस्कृत बोर्ड से पंजीकृत मदरसों एंव संस्कृत शालाओं में दर्ज बालिकाओं के लिए 400 रूपया प्रति छात्र/छात्रा के मान से 2 जोडी गणवेश हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।

4 **समेकित छात्रवृत्ति योजना**– समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत (कक्षा 1 से 12 तक) शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को म.प्र शासन के 9 विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्तियों का पात्रता अनुसार हितग्राही विद्यार्थियों के बैंक खातों में ई–पेंमेंट के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है।

Scanned by CamScanner